पत्रांक–11/शा.03-04/2019.....2051/

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक,
झारखण्ड ।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक 18/12/20

विषयः– राज्य में संचालित सभी CBSE/ICSE बोर्ड से संबद्ध मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी निजी विद्यालयों में वर्ग–10 एवं 12 की कक्षाओं का संचालन के संबंध में ।

प्रसंगः– गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची का आदेश संख्या–3258 दिनांक 17.12.2020 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–03/2020–DM–I(A) दिनांक 25.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय दिनांक 17.03.2020 से वैश्विक महामारी कोरोना (Covid 19) के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए बंद हैं । यद्यपि इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य में अध्ययन–अध्यापन का कार्य निजी विद्यालयों के द्वारा अपने स्तर से करवाने का प्रयास किया जा रहा है ।

कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड की परिक्षाएँ निकट है, फलतः इन छात्रों के पठन–पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने हेतु आंशिक रूप से विद्यालय को COVID-19 से बचाव के उपायों के साथ खोला जाना अतिमहत्वपूर्ण हो गया है । इस संदर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–03/2020–DM–I(A) दिनांक 25.11.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 3258 दिनांक 17.12.2020 द्वारा दिनांक 21.12.2020 से राज्य में संचालित सभी CBSE/ICSE बोर्ड से संबद्ध मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी निजी विद्यालयों के वर्ग–10 एवं 12 की कक्षाओं के संचालन एवं छात्रों के परामर्श हेतु खोले जाने का निर्णय लिया गया है । जिसमें विद्यालयों को खोलने में मुख्य दिशा–निदेश निम्नवत् है :–

1- Containment Zone के बाहर अवस्थित सभी CBSE/ICSE बोर्ड से संबद्ध मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी निजी विद्यालयों जहां कक्षा–10 एवं कक्षा–12 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावको की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे।

2- वैसे सभी विद्यालय जो Containment Zone के बाहर हैं, अभिभावकों की सहमति से विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के पंजीयन हेतु विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार विद्यालयों में बुलाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें शारीरिक दूरी, मास्क एवं हाथ धोने के नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 25.11.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 3258 दिनांक 17.12.2020 द्वारा निर्गत आदेश पत्र की प्रति (अनुलग्नक- 'क') प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक मे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं विद्यालयों में सुनिश्चित करायी जाए तथा पत्र के साथ सलग्न दिशानिर्देशो का सख्ती से अनुपालन करते हुए सभी CBSE/ICSE बोर्ड से संबद्ध मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी निजी विद्यालयो के वर्ग-10 एवं 12 की कक्षाओ का संचालन संबंधी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ही कराया जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक: 2051 दिनांक: 18.12.2020

प्रतिलिपि: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक: 2612 दिनांक 23/12/2020

प्रतिलिपि - जिला के सभी सी०बी० एस०ई०/ आई० सी० एस० ई० मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23-12-2020

जिला शिक्षा पदाधिकारी
धनबाद

23.12.2020

Scanned with CamScanner

छात्र/छात्रा को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक सहमति -सह-घोषणा पत्र

1	विद्यालय का नाम	
2	छात्र/छात्रा का नाम	
3	वर्ग	वर्ग क्रमांक
4	गृह पता	
5	मोबाइल न0	
6	मै अपने पुत्र/पुत्री/वार्ड .... जो वर्ग ....के छात्र/छात्रा है, को आने वाले बोर्ड परिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षको के मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी हेतु अपने स्वेच्छा से विद्यालय भेज रहा/रही हुँ।	
7	मैं या मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड किसी कंटेनमेंट जोन में निवास नही करते है।	
8	मैं या मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड पिछले तीन सप्ताह में COVID-19 के टेस्ट में पोजटिव नही पाये गये है।	
9	वर्त्तमान में मेरे पुत्र/पुत्री/वार्ड को COVID-19के कोई लक्षण नही है।	
10	मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड विद्यालय में COVID-19 के बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करेंगा।	
11	मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड विद्यालय में शिक्षको के बातो का अनुपालन करेगा	
12	यदि मेरे बच्चे में सर्दी, बुखार, खाँसी, स्वाद या गंध का पता न लगना जैसे लक्षण दिखते हैं, जो कोरोना के भी हो सकते हैं तो मैं इसके विषय में तुरंत विद्यालय के शिक्षकों को सूचित करूँगी/करूँगा । साथ ही मेरे घर या आसपास यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो मैं इसके विषय में विद्यालय को तुरंत सूचना दूँगी/दूँगा ।	
13	मैंने इस स्व–घोषणा सह सहमति प्रपत्र को पढ़ा/सुना कर समझने के बाद हस्ताक्षर (अथवा अँगूठे का निशान) कर रहा हूँ ।	

माता/पिता/अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner